अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी

प्रेम सम्बन्धों में नंदोई ने की थी हत्या

बानमोर हत्याकांड का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
मुरैना/बानमोर, 12 दिसंबर। कस्बा बानमोर में सूने घर में अधेड़ महिला मालती गौड़ के कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने महज 48 घंटे में ही सुलझा लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतिका के दूर के रिश्ते के ननदोई के साथ प्रेम संबंध थे, 10 दिसंबर को घर पहुंचें ननदोई से मृतिका का पैसों के लेनदेन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ननदोई ने पहले उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा, जिसके बाद वॉशिंग बैटल (कपड़े धोने की मोगरी) से जबड़े पर प्रहार किया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर डाली। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले ननदोई को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि 10 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे कस्बा बानमोर में नगरपालिका के पीछे रहने वाली मालती गौड़ पत्नी मुरारीलाल गौड़ अपने घर में अकेली थी। तभी उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। शाम 5 बजे पति मुरारीलाल के घर पहुंचनें पर हत्या का खुलासा हुआ था। पुलिस ने अज्ञात बदमाश के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज किया था। अंधेकत्ल की विवेचना के दौरान पुलिस ने विश्वस्त सूत्रों से मिली सूचना पर मृतिका मालती के रिश्ते में ननदोई लगने वाले मुन्नालाल गौड़ निवासी ग्राम शहदपुर सुसानी, थाना सुमावली हाल आश्रम वाली गली बानमौर को कस्बे की फूलपुर रोड से हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर मुन्नालाल ने पुलिस को बताया कि बीते 4 साल से उसका मालती के घर आना-जाना था, दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए थे। 10 दिसंबर की दोपहर मुन्नालाल जब मालती के घर पहुंचा तो पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इसी दौरान मुन्नालाल ने मुंह में कपड़ा ठूंसने के बाद मालती के जबड़े पर मोगरी से वार किए और गला घोंटकर हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी मुन्नालाल की निशानदेही पर सीतापुर रोड से घटना में प्रयुक्त कपड़े धोने की लकड़ी की मोगरी, खून से लथपथ कपड़े बरामद कर लिए है।

मालती ने लिया था 8 लाख का होमलोन, चुकाने था दबाव

जानकारी के अनुसार मृतिका मालती गौड़ ने अपने मकान को बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था। होमलोन की 8 लाख रूपये की राशि अभी चुकाने को शेष थी, जिसे लेकर वो चिंतित रहती थी। पुलिस की माने तो होमलोन चुकाने को लेकर ही मृतिका का आरोपी मुन्नालाल से झगड़ा हुआ था।

अंधेकत्ल के खुलासे में इनका रहा सराहनीय योगदान

बानमोर थाना प्रभारी निरीक्षक दीपेन्द्र सिंह यादव, निरीक्षक ओपी रावत, सायबर सैल के एसआई अभिषेक जादौन, एसआई यशपाल बरोनिया, एएसआई अरविंद शर्मा, प्र .आर . रतन यादव, मुरारीलाल, राजकुमार, आरक्षक सुनील यादव, आकाश बाथम, विनीत मौर्य, महिला आरक्षक प्रिंसी गर्ग और सायबर सैल टीम की अंधे कत्ल के खुलासे में सराहनीय भूमिका रही है।

सहरिया आवासों का निर्माण कार्य तेजी से कराएं : मंत्री कंषाना

सहरिया का पुरा में स्कूल एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज
मुरैना, 12 दिसंबर। राज्य शासन के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना शुक्रवार को सुमावली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सहरिया का पुरा में बन रहे विद्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचें।

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री कंषाना ने मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहरिया आवासों का निर्माण कार्य तेज गति से पूर्ण कराया जाए, ताकि हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध हो सकें। उन्होंने ग्रामीणों की आवश्यकताओं का अवलोकन करते हुए घोषणा की कि गांव से श्मशान तक डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण विधायक निधि से कराया जाएगा। निरीक्षण के उपरांत कृषि मंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना एवं उनके निराकरण का आश्वासन दिया।

एडीजे ने मरीजों से की मुलाकात, बताए स्वास्थ्य अधिकार

नवभारत न्यूज
मुरैना/अंबाह, 12 दिसंबर। सिविल अस्पताल अंबाह में शुक्रवार को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज-डे के उपलक्ष्य में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम जिला न्यायाधीश एवं तहसील विधिक सेवा समिति अंबाह के अध्यक्ष एडीजे अभिषेक सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया और इलाज के लिए आए मरीजों व उनके परिजन से सीधा संवाद किया।

इस दौरान उन्होंने नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों, सरकारी योजनाओं और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी। शिविर का उद्देश्य लोगों को कानूनी जागरूकता के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा से जोड़ना था। शिविर में उपस्थित लोगों को आयुष्मान भारत सहित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं और नि:शुल्क प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में डॉ. प्रमोद शर्मा, डॉ. जीसी आर्या, डॉ. सतीश यादव, डॉ. राकेश शर्मा, डॉ. अनुरूद्ध कटारे, डॉ. प्रदीप कपासिया, डॉ. श्रुति जैन सहित अस्पताल का पूरा स्टाफमौजूद रहा।

जौरा में 15 वर्ष 6 माह की नाबालिग का विवाह रुकवाया

कस्बे के संजय नगर स्थित आदित्य पैलेस में हो रहा था विवाह, नाबालिग को भेजा वन स्टॉप सेंटर

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 12 दिसंबर। 15 साल 6 महीने की उम्र में एक लड़की के विवाह की तैयारी मैरिज होम्स में चल रही थी। हेल्पलाइन नंबर-108 पर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर महिला एवं बाल विकास की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर शादी रुकवाई और नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर वन स्टॉप सेंटर भेजा।

जानकारी के अनुसार मुरैना शहर के गणेशपुरा इलाके में रहने वाले बैरागी समाज की 15 साल 6 महीने की नाबालिग लड़की का विवाह उसकी मां ने जौरा क्षेत्र में रहने वाले लड़के से तय कर दिया। गुरुवार 11 नवंबर को जौरा कस्बे के आदित्य पैलेस में विवाह की तैयारियां चल रही थीं। शाम को बारात आने वाली थी। बाल विवाह की सूचना हेल्पलाइन-108 पर आई तो महिला एवं बाल विकास की सीडीपीओ रचना जैन तत्काल जौरा थाने से पुलिस फोर्स लेकर गुरुवार की शाम मैरिज होम्स में पहुंच गई।

10वीं की अंकसूची में साढ़े 15 साल की थी लड़की : महिला एवं बाल विकास विभाग व पुलिस टीम ने हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के साथ नाबालिग की 10वीं की ओपन बोर्ड की मार्कशीट भी भेजी गई थी, जिसके आधार पर उसकी उम्र मात्र 15 साल छह महीने के करीब थी। इस पर टीम ने नाबालिग की मां को समझाइश दी कि वह 18 साल की उम्र से पहले बेटी की शादी न कराएं।

नाबालिग को बाल कल्याण समिति में पेश कर वन स्टॉप सेंटर भेजा : जौरा स्थित मैरिज गार्डन से महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने नाबालिग को रेस्क्यू कर मुरैना में बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया।

इनका कहना है ...

मुरैना क्षेत्र की साढ़े पंद्रह साल की नाबालिग का विवाह कराने की सूचना मिली थी। नाबालिग के पिता नहीं थे, मां ही शादी करवा रही थीं, जिसे रुकवाया गया है। वहीं नाबालिग को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर वन स्टॉप सेंटर भेजा है।
– रचना जैन, सीडीपीओ जौरा

शहर के लोहिया बाजार में जेसीबी ने तोड़े टीनशेड, हटाया अतिक्रमण

पोरसा कस्बे में भी तीसरे दिन जारी रही कार्रवाई

नवभारत न्यूज
मुरैना, 12 दिसम्बर। जिलेभर में जारी अतिक्रमण विरोधी मुहिम के तहत शुक्रवार को नगर निगम के अमले ने शहर के लोहिया बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम का मदाखलत दस्ता जेसीबी लेकर पहुंचा और लोहिया बाजार में दो से तीन दुकानों के टीनशेड तोड़े। वहीं नालियों के ऊपर बनी सीढि़यों को तोड़ा। इस दौरान लोहिया बाजार के दुकानदारों ने मदाखलत दस्ते को देखकर खुद ही अपना सामान दुकानों के अंदर रख लिया।

पोरसा में तीसरे दिन भी चला अतिक्रमण विरोधी अभियान : पोरसा कस्बे में शुक्रवार को तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही।

अंबाह रोड पर दो जेसीबी, एक लोडर चार ट्रैक्टर तथा 40 कर्मचारियों के साथ टीम अतिक्रमण हटाने के लिए उतरी। अंबाह रोड पर नगर पालिका अध्यक्ष का अतिक्रमण की परिधि में आया आधा चबूतरा तोड़ा गया। इस दौरान सीएमओ अवधेश सिंह सेंगर, तहसीलदार के के शर्मा, नगर निरीक्षक दिनेश सिंह कुशवाहा तथा संतोष सिंह तोमर भी मौजूद रहे। वहीं अन्य दुकानदारों का अतिक्रमण में रखा सामान जेसीबी चलाकर ट्रैक्टर के माध्यम से उठाया गया।

झुंडपुरा की पाराशर क्लीनिक के संचालक को 3 वर्ष सश्रम कैद

एक लाख जुर्माना, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सबलगढ़ का फैसला

नवभारत न्यूज
मुरैना, 12 दिसम्बर। कस्बा झुंडपुरा में बिना किसी एलोपैथी डिग्री और ड्रग स्टोर के लाईसेंस के बिना अनुचित रूप से प्रतिबंधित दवाओं का संधारण व विक्रय करते हुए मिले पाराशर क्लीनिक के संचालक संजीव पाराशर को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सबलगढ़ राजेश जैन ने औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम-1940 की धारा-27(बी) में दोषी मानते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया है।

इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक सुरेन्द्र शर्मा के अनुसार औषधि निरीक्षक देशराज सिंह यादव ने एक शिकायत के आधार पर झुंडपुरा में संचालित पाराशर क्लीनिक का 20 नवंबर 2019 को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्लीनिक पर भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाओं का संधारण और विक्रय किया जाना पाया गया। क्लीनिक संचालक संजीव पाराशर पुत्र जगदीश प्रसाद पाराशर निवासी ग्राम झुंडपुरा मौके पर औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति सहित क्लीनिक एवं दवाओं के संधारण, विक्रय से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। औषधि निरीक्षक ने क्लीनिक से प्रतिबंधित डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन की 30 मिली की दो वॉयल भी जब्त की। क्लीनिक संचालक संजीव पाराशर के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 एवं नियमावली-1945 की धारा-18सी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले के विचारण के बाद क्लीनिक संचालक संजीव पाराशर को औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम-1940 की धाराओं के तहत दोषी मानते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया है।

सुमावली स्वास्थ्य केन्द्र पर 3 डॉक्टर्स समेत 7 मिले अनुपस्थित

सीबीएमओ जौरा ने देवगढ़, सुमावली स्वास्थ्य केन्द्रों का किया निरीक्षण

नवभारत न्यूज
मुरैना/जौरा, 12 दिसंबर। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जौरा डॉ. आरएस सैमिल ने 12 दिसंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमावली और देवगढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुमावली स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात 3 डॉक्टर्स व 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्यूटी पर अनुपस्थित मिले।

सीबीएमओ डॉ. सैमिल 12 दिसंबर की दोपहर करीब साढ़े बारह बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुमावली पहुंचें। केन्द्र पर पदस्थ डॉ. प्रबल यादव, डॉ. अक्षत गुप्ता और डॉ. अभिषेक कुमार अनुपस्थित मिले। उनके अवकाश से संबंधित कोई दस्तावेज अथवा आवेदन भी स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं मिला।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चतुर्थ श्रेणी संदीप निगम, रविप्रताप, सचिन आदिवासी और राजीव गर्ग भी अनुपस्थित मिले। उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने पर पता चला कि सुमावली स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्य करने को भेजे गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अवधेश शाक्य, भगवानदास बाल्मीक, राधे, मनोज कुमार शाक्य, रामसेवक बघेल ने आज दिनांक तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई थी। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले डॉक्टर्स सहित अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे है।

देवगढ़ स्वास्थ्य केन्द्र पर खामियों को 3 दिन में दूर करें

निरीक्षण करने देवगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचें सीबीएमओ डॉ. आरस सैमिल ने केन्द्र प्रभारी को स्पष्ट रूप से कहा कि कलेक्टर के निरीक्षण में केन्द्र पर जो खामियां पाईं गईं थी, उन खामियों को 3 दिवस में दूर कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

गंभीर मरीज को रैफर किया तो परिजन ने डॉक्टर पर किया हमला

अंबाह अस्पताल में देर रात हुई घटना, 2 नामजद, 3 अन्य पर एफआईआर

नवभारत न्यूज
मुरैना/अंबाह, 12 दिसंबर। सिविल अस्पताल अंबाह में गुरुवार रात एक गंभीर मरीज के परिजन ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उसके ऊपर हमले की भी कोशिश की। ड्यूटी स्टाफकी सक्रियता से डॉक्टर बच सके। अंबाह पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर दो नामजद, तीन-चार अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार अंबाह अस्पताल में गुरुवार रात 11.35 बजे बाण्डेड डॉक्टर डॉ. अनुरुद्ध कटारे इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान अम्हिलेड़ा निवासी 80 साल के ओमकार सिंह तोमर को बेहोशी की स्थिति में परिजन अस्पताल लाए। डॉक्टर ने तत्काल ओमकार का इलाज किया लेकिन तबीयत में सुधार होते न देखकर मुरैना जिला अस्पताल रैफर करने की सलाह दी।

रैफर करने की बात पर भड़के परिजन, डॉक्टर पर हमले की कोशिश

डॉक्टर कटारे द्वारा मरीज ओमकार को रैफर करने की बात सुनते ही मरीज के अटेंडेंट गौरव तोमर, आशीष तोमर सहित अन्य तीन-चार लोग भड़क गए। उन्होंने डॉक्टर को गालियां देते हुए न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी बल्कि डॉक्टर पर हमला करने का भी प्रयास किया। घटना के दौरान ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग ऑफिसर आनंद शर्मा, एमएसडब्ल्यू सौरभ शर्मा, वार्डबॉय रविकांत और गार्ड सचिन ने हस्तक्षेप कर डॉक्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस ने डॉ. अनुरुद्ध कटारे की लिखित शिकायत पर अंबाह पुलिस ने गौरव तोमर और आशीष तोमर सहित तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

आयुष्मान कार्ड-आधार लिंकिंग को प्राथमिकता से पूर्ण करें

नवभारत न्यूज
मुरैना, 12 दिसंबर। कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें जिले की प्रमुख योजनाओं एक बगिया मां के नाम, जॉब कार्डधारियों के आधार लिंक, आयुष्मान कार्ड, पीएम जनमन, समग्र ई-केवाईसी एवं पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत कमलेश कुमार भार्गवए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रतिज्ञा शर्मा, ईई आरईएस मनीष कुमार, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, पंचायतकर्मी एवं आरईएस विभाग के इंजीनियर, उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने एक बगिया मां के नाम योजना में धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। जॉब कार्डधारकों के आधार लिंक में मुरैना की कमजोर स्थिति को लेकर जीआरएस को घर-घर जाकर आधार लिंकिंग करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना को केंद्र एवं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना बताते हुए पंचायत कर्मियों को निर्देशित किया गया कि वे स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर डोर-टू-डोर अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाएं। सिविल कार्यों पर गंभीरता दिखाते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी नए कार्य में गलत साइट चयन पाए जाने पर संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

परमिट व बीमा के बिना सवारियां ढो रहे 9 मैजिक वाहन पकड़े

आरटीओ ने मुरैना-धौलपुर मार्ग पर 68 वाहनों को किया चैक, 23 पर कार्रवाई

नवभारत न्यूज
मुरैना, 12 दिसंबर। मुरैना-धौलपुर रूट पर बिना बीमा, परमिट और फिटनेस के सवारियां ढो रहे यात्री वाहनों के विरुद्ध क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने शुक्रवार को अपनी टीम के साथ सघन चैकिंग अभियान चलाया। देवरी पर लगाए गए चेकिंग प्वाइंट पर 68 वाहनों को रोककर उनके दस्तावेज चेक किए गए, जिनमें से 23 में खामियां मिलीं। पांच मैजिक वाहन बिना बीमा और चार मैजिक वाहन बिना परमिट सवारियां ढोते हुए मिले। इन सभी वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 82 हजार 500 रूपये की राशि राजस्व के रूप में वसूली गई।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार द्वारा शुक्रवार को चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पांच मैजिक वाहन बिना बीमा के सवारियां ढोते हुए पकड़े गए। इसी प्रकार चार मैजिक वाहन बिना फिटनेस सर्टिफिक्रेट सवारियां ढोकर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। इसके अलावा वाहन संचालन से संबंधित अन्य कमियां मिलने पर कुल 23 वाहन पकड़े गए। एक मैजिक वाहन क्रमांक एमपी06-टीए-0353 को कोई भी वैध दस्तावेज न मिलने पर जब्त कर यातायात थाने में रखवाया गया है।

ओवर स्पीड में यात्री वाहन चला रहे ड्राईवर का लाईसेंस निरस्त : क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जब धौलपुर रूट पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक यात्री वाहन को ड्राइवर तेज रफ्तार से चला रहा था। इस वाहन को रोककर ड्राइवर का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया गया।

ट्रेक्टर ड्राईवर के विरुद्ध धारा-106 का केस दर्ज

मुरैना, 12 दिसंबर। बागचीनी थाना क्षेत्र में विगत 5 दिसंबर को गलेथा गांव में सती माता मंदिर के पास सोनालिका ट्रेक्टर क्रं . एमपी06-एबी-3149 के ड्राईवर ने शिवम सिकरवार 27 पुत्र किशन सिंह सिकरवार और बृजेश सिंह पुत्र रायसिंह सिकरवार निवासीगण आमनपुरा को टक्कर मार दी थी। हादसे में शिवम की मौत हो गई थी। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने ट्रेक्टर ड्राईवर के विरुद्ध बीएनएस की धारा-106 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।